पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद

दण्ड प्रक्रिया संहिता - 1973

अध्याय- 01

प्रारम्भिक

दण्ड प्रक्रिया संहिता -1973

- दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक विधि है।
- 01 अप्रैल 1974 से लागू
- विस्तार जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर
- अध्याय 8,10 और 11 के उपबन्ध नागालैंण्ड राज्य एवं जनजाति क्षेत्रों को लागू होंगे।

धारा 2- परिभाषायें

- इसमें संहिता में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है।

धारा 2(क) जमानतीय अपराध

- प्रथम अनुसूची में दर्शित जमानतीय अपराध
- उस समय लागू किसी विधि द्वारा जमानतीय
- अजमानतीय अपराध से भिन्न अन्य कोई अपराध

धारा 2(ख) - आरोप

- आरोप के अन्तर्गत आरोप में एक या एक से अधिक शीर्ष(Head)
- आरोप अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध की न्यायालय द्वारा जानकारी देना

धारा 2(ग) - संज्ञेय अपराध

- वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है या
- उस समय लागू किसी विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

धारा 2(घ) - परिवाद

- मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा
- अपराध के बारे में होगा
- अपराधी ज्ञात या अज्ञात दोनो हो सकता है।
- पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं होगी।
- असंज्ञेय अपराध की प्रेषित पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी।

धारा 2(छ) - जाँच

- मजिस्ट्रेट द्वारा
- विचारण से भिन्न

धारा 2(ज) -अन्वेषण

- पुलिस अधिकारी द्वारा
- ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करे।
- अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है।

धारा 2(झ)- न्यायिक कार्यवाही

- ऐसी कार्यवाही जिसमें शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाता है
- शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जा सकता है।

धारा 2(ट) - महानगर क्षेत्र

- धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित
- जनसंख्या 10 लाख से अधिक
- अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी

धारा 2(झ)- न्यायिक कार्यवाही

- ऐसी कार्यवाही जिसमें शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जाता है
- शपथ पर वैध रूप से साक्ष्य लिया जा सकता है।

धारा 2(ट) - महानगर क्षेत्र

- धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित
- जनसंख्या 10 लाख से अधिक
- अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी

धारा 2(ठ) - असंज्ञेय अपराध

- पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकता है
- अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं किया जा सकता है।

धारा 2 (ण) - थाने का भारसाधक अधिकारी

- थाने के भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में
- उससे पंक्ति में ठीक नीचे का व्यक्ति
- कान्सटेबिल की पंक्ति से ऊपर का व्यक्ति

धारा 2(द) - पुलिस रिपोर्ट

- धारा 173(2) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट
- आरोप पत्र व अन्तिम आख्या दोनों सम्मिलित

धारा 2(ध) - पुलिस थाना

- कोई चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित किया गया है।

धारा 2(भ) - वारण्ट मामला

- दो वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय

धारा 2 (ब) - समन मामला

- जो वारण्ट मामला नहीं है।
- दो वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दंडनीय

धारा 2(ब (क)) - पीडित

- ऐसा व्यक्ति जिसे अपराधी के कार्य या लोप से क्षति कारित हुई हो।
- पीडित का संरक्षक या विधिक वारिस भी सम्मलित

अध्याय- 02

दण्ड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

धारा (6) - दण्ड न्यायालयों के वर्ग

- सेशन न्यायालय
- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट \ महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट
- द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट
- (क)जिला मजिस्ट्रेट (ख) उपखण्ड मजिस्ट्रेट (ग) विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

धारा(9) - सेशन न्यायालय

- राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खण्ड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी।
- सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश होगा।
- नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा
- उच्च न्यायालय अपर एवं सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्त कर सकता है।

धारा(11)- न्यायिक मजिस्ट्रेटो के न्यायालय

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना करेगी।
- उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा
- राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है।
- पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- उच्च न्यायालय सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है।

धारा(12)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि

- उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
- उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है।
- किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदारूढ़ कर सकता है।

धारा(13) - विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा
- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर
- नियुक्ति एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए

धारा (20) - कार्यपालक मजिस्ट्रेट

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्ति कर सकती है।
- किसी एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
- किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है।
- किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है।
- महानगर क्षेत्र में किसी पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब या कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं।

धारा(21) - विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट

- राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है।
- किसी विशिष्ट कार्यों का पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है।
- नियुक्ति उतने समय के लिए होगी जितना राज्य सरकार उचित समझे

धारा(24) - लोक अभियोजक

- इस धारा में उच्च न्यायालयों एवं जिलों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की नियक्ति व अर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है।
- उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियाजक की नियुक्ति केन्द्रीय व राज्य सरकार करेगी।
- नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात
- केन्द्रीय सरकार जिला या स्थानीय क्षेत्र के लिए लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी
- राज्य सरकार प्रत्येक जिल के लिए एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
- जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे नामों का पैनल तैयार करेगा
- जहां अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहाँ उसी मे से नियुक्ति होगी

- पात्रता कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य
- विशेष लोक अभियोजक की पात्रता कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य
- न्यायालय अभिजोयन की सहायता हेतु पीडित को अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है।

धारा(25) - सहायक लोक अभियोजक

- राज्य सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
- केन्द्रीय सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
- अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को किसी मामले का भारसाधक   सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है।
- कोई पुलिस अधिकारी पात्र नहीं होगा
- जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है
- जब अभियोजन चल रहा हो और उसने अन्वेषण में भाग लिया हो।

धारा (25 क) - अभियोजन निदेशालय

- राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है।
- इसमें एक अभियोजन निदेशक तथा अभियोजन उपनिदेशक नियुक्त होंगे
- नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से
- ऐसा व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।

- अभियोजन निदेशक राज्य में गृह विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा
- प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा
- इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होगे
- उच्च न्यायालय का अभियोजक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा
- जिले का अभियोजक अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा

अध्याय- 03

न्यायालयों की शक्ति

धारा 26 - न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है

- भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण
- उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या
- सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या
- किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा प्रथम अनुसूची में वर्णित है।
- किसी अन्य विधि के अधीन अपराध का विचारण-
- जब उस विधि मे इस हेतु कोई न्यायालय उल्लेखित है तब उसके द्वारा
- अन्यथा उच्च न्यायालय द्वारा
- प्रथम अनुसूची के भाग 2 मे उल्लेखित न्यायालय द्वारा

धारा 28

दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे

- उच्च न्यायालय ऐसा कोई दण्डादेश दे सकता है जो कानून द्वारा प्राधिकृत है।
- सेशन न्यायाधीश व अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है किन्तु मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है।
- सहायक सेशन नयायाधीश 10 वर्ष से अधिक के कारावास के अतिरिक्त विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

धारा 29- दण्डादेश जो मजि0 दे सकेंगे

- मुख्य न्यायिक मजि0 मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के अतिरिक्त विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।
- प्रथम वर्ग मजि0 3 वर्ष तक का कारावास या 10000 तक का जुर्माना या दोनो
- द्वितीय वर्ग मजि0 1 वर्ष तक का कारावास या 5000 तक का जुर्माना या दोनॉ
- सी.एम.एम. को सी.जे.एम. , एम.एम. को जे.एम. की शक्ति होगी।

धारा 30

जुर्माना देने मे व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश

- उतनी से अधिक न होनी चाहिए जितनी मजि0 धारा 29 के अंतर्गत देने के लिए सशक्त है।
- जहाँ कारावास मुख्य दण्डादेश का भाग हो वह उस कारावास की अवधि के एक चौथाई तक
- जुर्माने के बदले में दिया गया कारावास धारा 29 में दी गई कारावास की अवधि के अतिरिक्त होगा।

अध्याय- 04

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता

धारा 36

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ

- पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से रैंक मे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
- जिस स्थानीय क्षेत्र में उनकी नियुक्ति है उनमें सर्वत्र
- थानाध्यक्ष की शक्तियो का प्रयोग कर सकता है।

धारा 37

जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी

- प्रत्येक व्यक्ति निम्न मामलो मे सहायता करने के लिए बाध्य है
- किसी व्यक्ति को , जिसे मजि0 या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, उसे पकड़ने या भागने से रोकने मे अथवा
- शांति भंग को रोकने या उसका दमन करने मे अथवा
- किसी रेल, नहर,तार या सार्वजनिक सम्पति को क्षति पहुँचाने के प्रयत्न को रोकने के लिए
- ऐसी सहायता करने मे जानबूझकर उपेक्षा करना भा.द.सं. की धारा 187 का अपराध होगा।

धारा 38

पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है

- कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है।
- वारण्ट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी नही है।
- सहायता करना बाध्यकारी नही है

धारा 39

कुछ अपराधो की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना

- इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तब्य है कि भा.द.सं. के कुछ अपराधो के बारे मे जब उसे कोई जानकारी प्राप्त हो इसकी सूचना निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे।
- ऐसी सूचना देने में चूक या उपेक्षा भा.द.सं. की धारा 176 का अपराध होगा।

धारा 40

ग्राम के मामलो के सम्बन्ध मे नियोजित अधिकारियो के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य

- किसी ग्राम के मामलो के सम्बन्ध मे नियोजित प्रत्येक अधिकारी
- ग्राम मे निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति
- जो ग्राम प्रशासन के सम्बन्ध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- भा.द.सं. में वर्णित कतिपय अपराधो के सम्बन्ध में
- सूचना जो उसके पास है निकटतम मजि0 या निकटतम पुलिस अधिकारी को देगा।

- ऐसी सूचना देने में चूक करना भा.द.सं. की धारा 176 का अपराध होगा।
- ग्राम के अन्तर्गत ग्राम भूमियाँ भी सम्मिलित है।
- कोई पुलिस अधिकारी मजि0 के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
- जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है।
- सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करता है

- यदि निम्न शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात्
- परिवाद सूचना या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।
- पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि ऐसी गिरफ्तारी-
- कोई अग्रेतर अपराध करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए या
- अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए या
- साक्ष्य को समाप्त करने या छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए
- साक्षी को प्रभावित करने से रोकने के लिए

- न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए
- पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने व न करने दोनों के कारण लेखबद्ध करेगा।
- (खक) जब सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध करने का विश्वसनीय कारण हो
- जो अपराधी उद्घघोषित किया जा चुका है
- जिसके कब्जे में चुराई गई सम्पत्ति है
- जो पुलिस अधिकारी को कर्तव्य पालन में बाधा पहुँचाता है या अभिरक्षा से भागा है या भागने का प्रयत्न करता है।
- जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का सन्देह है।

अध्याय- 05

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा 41(क)

पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश

- जब धारा 41(1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी नोटिस जारी करेगा।
- ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करेगा।
- नोटिस का अनुपालन करने वाले को लेखबद्ध कारणों के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।
- नोटिस का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार किया जायेगा।

धारा 41(ख)

गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य

- प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के दौरान
- अपने नाम का सही दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा।
- गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा।
- गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने के अधिकार से अवगत करायेगा ।

धारा 41(ग) - जनपदों में नियंत्रण कक्ष

राज्य सरकार -

- प्रत्येक जनपद में तथा
- राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी।
- धारा 41(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पूँछताँछ के दौरान अपनी पसन्द के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है

धारा 42 - नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी

- जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है।
- जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग है।
- पूँछे जाने पर अपना नाम और निवास बताने से इन्कार करता है।
- या जो अपना नाम और निवास मिथ्या बताता है तो-
- उसका नाम और निवास अभिनिश्चित करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
- नाम निवास अभिनिश्चित करने के बाद बन्ध पत्र पर छोड़ा जायेगा।
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर नाम निवास अभिनिश्चित न होने या बन्ध पत्र निष्पादन में असफलता पर मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।

धारा 43

प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

- कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है
- जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय औऱ अजमानतीय अपराध करे
- उद्घघोषित अपराधी हो

धारा 44 - मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी

- जब कार्यपालक या न्यायायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता में
- कोई अपराध कारित किया जाता है (संज्ञेय या असंज्ञेय)
- मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी हेतु आदेश दे सकता है
- कोई मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु वारण्ट जारी कर सकता है तब
- वह स्वयं उसे गिरफ्तार कर सकता है या
- गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है।

धारा 45 - सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण

- इस धारा के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को वारण्ट के बिना गिरफ्तार नही किया जा सकता है जो-
- जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हों
- जो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहें हैं
- जिनकी गिरफ्तारी के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं प्राप्त की गई है
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा संरक्षण अपने बल के सदस्यों को दे सकती है

धारा 46 - गिरफ्तारी कैसे की जाएगी

- गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूकर या परिरूद्ध कर
- प्रतिरोध की स्थिति में आवश्यक सब साधन का उपयोग किया जा सकता है
- किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती।

धारा 47

उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है

- ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जो किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है
- ऐसे स्थान का भारसाधक माँग करने पर ऐसे स्थान में प्रवेश करने देगा
- भारसाधक तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएँ देगा।
- स्वामी द्वारा मना करने पर आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है
- पुलिस अधिकारी गृह या स्थान का द्वार या खिड़की तोड़कर भी प्रवेश कर सकता है
- अन्दर प्रवेश के पश्चात निरुद्धि की स्थिति में खिड़की द्वार तोड़कर बाहर आ सकता है।

धारा 48- अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना

- यह धारा गिरफ्तारी के लिए भारत के किसी भी स्थान में अभियुक्त का पीछा कर गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती हैं।

धारा 49 - अनावश्यक अवरोध न करना

- गिरफ्तार व्यक्ति को उतना अवरुद्ध किया जाएगा जितना उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
- अनावश्यक बल प्रयोग, अनावश्यक अवरोध भा0द0सं0 की धारा 220 का अपराध होगा।

धारा 50

गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना

- गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा
- जमानतीय अपराध में जमानत के अधिकार से अवगत कराया जाएगा।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करती है।
- संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनु0-22 में है

धारा 51 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी

- इस धारा के अन्तर्गत तलाशी केवल गिरफ्तारी के बाद ली जाएगी
- पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुएं अभिगृहीत की जाएगी
- गिरफ्तार व्यक्ति को एक रसीद दी जायेगी जिसमें पुलिस द्वारा कब्जे में ली वस्तुएं दर्शित होगी
- किसी स्त्री की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी।

धारा 52

आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति

- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर पाये जाने वाले आक्रामक आयुध कब्जे में लिए जाएंगे।
- ऐसा आयुध न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा

धारा 53

पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा

- इस धारा में साक्ष्य प्रकट करने की दृष्टि से शारीरिक परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
- परीक्षा उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर होगी
- शारीरिक परीक्षा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।
- किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या
- उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।
- शारीरिक परीक्षा हेतु आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है।

धारा 53 A

बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा

- परीक्षा सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा
- 16 कि.मी. की परिधि में ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा
- परीक्षा हेतु आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है ।

धारा 54

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्साधिकारी द्वारा परीक्षा

- गिरफ्तारी के तुरन्त पश्चात गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी।
- परीक्षा सरकारी सेवारत चिकित्साधिकारी द्वारा की जाएगी।
- ऐसे चिकित्सक के उपलब्ध न होने पर किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाएगी।
- किसी महिला की शारीरिक परीक्षा केवल महिला चिकित्साधिकारी द्वारा की जाएगी
- परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी।
- परीक्षण रिपोर्ट में क्षति या हिंसा के चिन्ह एवं अनुमानित समय का उल्लेख होगा।

धारा 54(क) - गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त

- थानाध्यक्ष के निवेदन पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय शिनाख्त का आदेश दे सकेगा।
- जब शिनाख्त करने वाला मानसिक शारीरिक रूप से निर्योग्य हो तो शिनाख्त की प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में होगी।
- ऐसी शिनाख्त प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

धारा 55

जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया

- अन्वेषण के दौरान कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को गिरफ्तारी का आदेश देगा।
- आदेश लिखित होगा।
- आदेश में अभियुक्त का नाम पता व अपराध का विवरण होगा।
- गिरफ्तारी के पूर्व गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश का सार सूचित किया जाएगा
- गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा पर आदेश दिखाना होगा।
- यह धारा , धारा 41 में दी गई पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 55 (क)

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ तथा सुरक्षा

- अभियुक्त के स्वास्थ व सुरक्षा का दायित्व अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति पर होगा।

धारा 56

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना

- वारण्ट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के
- अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा या
- पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा

धारा 57

गिरफ्तार किए व्यक्ति का 24 घण्टे से अधिक निरूद्ध न किया जाना

- यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख अनु0 22 में किया गया है
- 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
- इसमें गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा का समय सम्मिलित नहीं होगा

धारा 58

पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना

- थानाध्यक्ष थाने की सीमा के अन्दर बिना वारण्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या
- उसके निर्देश पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देगा।

धारा 59 - पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन

- वारण्ट के बिना गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के अधीन उन्मोचित किया जा सकेगा
- स्वंय के बन्धपत्र पर या
- जमानत पर या
- मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर (धारा 167 के अन्तर्गत)

धारा 60 - निकल भागने पर पीछा करने और पकड़ लेने की शक्ति

- यह धारा उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से कोई व्यक्ति भागता है या छुड़ा लिया जाता है , उसे दो अधिकार प्रदान करती है –
- ऐसे व्यक्ति का भारत के किसी भी स्थान में पीछा कर सकेगा एवं
- वारण्ट के बिना पुनः गिरफ्तार कर सकता है।
- गिरफ्तारी पर धारा 47 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अध्याय- 06

हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

धारा – 61 समन का प्रारुप

- लिखित होना चाहिए
- दो प्रतियो में होना चाहिए
- हस्ताक्षरित होना चाहिए (न्यायालय द्वारा)
- न्यायालय की मुद्रा अंकित की जानी चाहिये
- तिथि समय एवं स्थान का उल्लेख होना चाहिये
- अपराध का उल्लेख किया जाना चाहिये

धारा – 62 समन की तामील कैसे की जाये

समन की तामील कौन करेगा

- तामील किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जायेगी या
- जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या
- अन्य किसी लोक सेवक द्वारा की जा सकती है।

समन की तामील कैसे की जायेगी

- जहाँ तक सम्भव हो समन किये गये व्यक्ति को समन की मूल प्रति देकर
- प्राप्त करने वाला दूसरे प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करेगा।

धारा 63 निगमित निकायों या सोसाइटियों पर समन की तामील

1.निगम के सचिव

2.स्थानीय प्रबन्धक या

3.अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी या

4.भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जा सकेगी

धारा – 64 जब समन किये गये व्यक्ति न मिल सके तब तामील

- परिवार के उसके साथ रहने वाले बयस्क पुरूष सदस्य पर
- परिवार के सदस्य में सेवक सम्मिलित नही
- इसे किस्म दोयम तामील भी कहते है।
- ऐसी तामीली तब की जाये जब समन किया गया व्यक्ति पूर्ण प्रयास के बाद न मिल सके।

धारा – 65 जब पूर्व प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया

- जब उपरोक्त तीनों रीतियों से समन की तामील न हो सके
- तब समन की एक प्रति उस व्यक्ति के निवास स्थान के आसानी से दिखाई पड़ने वाले स्थान पर लगाकर की जा सकेगी।
- इस तामीली को प्रतिस्थापित तामील(Substituted Service) भी कहते है।

धारा – 66 सरकारी सेवक पर तामील

- समन की दो प्रतियाँ उस कार्यालय के प्रधान को भेजी जाएगी।
- कार्यालय अध्यक्ष उस व्यक्ति पर धारा 62 में दिए गए तरीके से तामीली कराएगा
- यह तामीली व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए।
- कार्यालय अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट के साथ एक प्रति वापस न्यायालय को भेजेगा।

धारा – 67 स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील

- समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति निवास करता है।
- क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट ऐसे समन की सम्यक तामील कराएगा।

धारा – 68

तामील का सबूत जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो

जब समन की तामील क्षेत्राधिकार के बाहर की गई हो तब-

- शपथ पत्र द्वारा(तामील अधिकारी के)
- समन की दूसरी प्रति पर पृष्ठांकन और हस्ताक्षर तामीला का साक्ष्य होगा।

गिरफ्तारी का वारण्ट

धारा – 70 गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि-

- लिखित होना चाहिये।
- न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिये।
- न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिये।
- अभिकथित अपराध का उल्लेख होना चाहिये।
- निष्पादित करने वाले अधिकारी का विवरण होना चाहिये।
- तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह निष्पादिन नही हो जाता।
- तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता।

धारा – 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति

- यह जमानतीय वारण्ट में दिया जाता है।
- व्यक्ति बन्धपत्र निष्पादित कर मुक्त हो सकता है।
- जमानतीय वारण्ट में प्रतिभू की राशि का उल्लेख होगा।
- इसमें उस समय का उल्लेख होगा जब उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना हो।

धारा – 72 वारण्ट किसको निर्दिष्ट होंगे

- गिरफ्तारी का वारण्ट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा।
- अर्जेन्ट मामलों में जब पुलिस अधिकारी उपलबन्ध न हो तो वारण्ट किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- एक से अधिक को निर्दिष्ट वारण्ट का निष्पादन उन सबके द्वारा या
- किसी एक द्वारा किया जा सकता है।

धारा – 73 वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेगें

- निकल भागे हुये सिद्धदोष अपराधी की गिरफ्तारी के लिये
- किसी उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी के लिये
- ऐसा व्यक्ति जो अजमानतीय अपराध का अभियुक्त।
- ऐसे वारण्ट का निष्पादन उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि में प्रवेश पर होगा।

धारा – 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट

- वारण्ट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा
- निष्पादन दूसरा पुलिस अधिकारी कर सकता है।
- वारण्ट पर दूसरे पुलिस अधिकारी का नाम पृष्ठांकित करना होगा।
- वारण्ट निष्पादन हेतु निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी वारण्ट पर नाम का पृष्ठाकन करेगा।

धारा – 75 वारण्ट के सार की सूचना

वारण्ट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को -

- वारण्ट के सार से अवगत करायेगा।
- अपेक्षा करने पर उसे वारण्ट दिखायेगा।

धारा –76 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना

- धारा 57 के अनुसार 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा।
- ऐसा धारा 71 के प्रतिभूति सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया जायेगा।

धारा –77 वारण्ट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है

- भारत में किसी भी स्थान में
- विदेशी वारण्ट का निष्पादन प्रत्यर्पण (Extradition) विधि के अनुसार होगा।

धारा –78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिये भेजा गया वारण्ट

- न्यायालय की अधिकारिता के वाहर भारत के अन्दर किसी स्थान से है।
- ऐसा वारण्ट निष्पादन के लिए डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जायेगा।
- वारण्ट ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या
- पुलिस अधीक्षक या
- पुलिस आयुक्त को भेजा जाएगा
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निष्पादन होना है।
- ऐसा अधिकारी वारण्ट की प्राप्ति पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा।
- निष्पादन पूर्व उपबन्धित प्रकार से किया जाएगा।

धारा – 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिये पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट

- जब वारण्ट का निष्पादन जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता से वाहर होना हो
- तब पुलिस अधिकारी उस वारण्ट को पृष्ठांकन के लिये निम्न के पास ले जाएगा-
- उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निष्पादन होना है।
- उस थानाध्यक्ष या
- उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी के पास
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वारण्ट का निष्पादन होना है।

- जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वारण्ट का निष्पादन होना है।
- ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा।
- पृष्ठांकन उस वारण्ट के निष्पादन का पर्याप्त प्राधिकार होगा।
- वारण्ट के निष्पादन में स्थानीय पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
- आपवादिक स्थिति में ऐसे वारण्ट का निष्पादन बिना पृष्ठांकन के भी किया जा सकेगा।

धारा – 80

जिस व्यक्ति के विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया था, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया

- जब वारण्ट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी स्थल से 30 कि0मी0 के अन्दर हो
- जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की स्थानीय सीमा में गिरफ्तारी हुई हो उससे निकटतम या
- धारा 71 के अन्तर्गत प्रतिभूति ले ली गई हो।
- एसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जायेगा।

धारा – 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए

इस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है-

- यदि अपराध जमानतीय है और वह व्यक्ति जमानत देने को तैयार है या
- यदि वारण्ट पर धारा 71 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और वह प्रतिभूति देने को तैयार है तो मजिस्ट्रट,अधीक्षक या आयुक्त प्रतिभूति लेकर वारण्ट जारी करने वाले न्यायालय को भेजेगा।
- अजमानतीय अपराध में गिरफ्तारी वाले जिले के सी0जे0एम0 व सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी जा सकती है।
- धारा 71 के तहत पुलिस अधिकारी भी प्रतिभूति ले सकता है।

धारा – 82 फरार व्यक्ति के लिये उदघोषणा

उदघोषणा प्रकाशन की तिथि से अभियुक्त की हाजिरी का समय कम से कम 30 दिन पश्चात का होगा।

- उदघोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जायेगी-

    (1) उस नगर या ग्राम के सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी।

    (2) उस गृह या निवास स्थान के या नगर या ग्राम के सहज दृश्य भाग पर लगायी जायेगी।

    (3) उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगायी जाएगी।

- यदि न्यायालय निदेश दे तो उदघोषणा की एक प्रति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

उदघोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी धारा 174(क) भा0द0वि0 का अपराध होगा।

उदघोषणा के प्रवर्तन की अवधिः- जयेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य एस0सी0सी02009 पेज 104 में यह अवधारित किया गया है कि इस धारा में जारी उदघोषणा तब तक प्रभावी रहती है जब तक कि अपराधकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता।

धारा – 83 फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की

- इस धारा में फरार हुए व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की के वारे में प्रावधान किया गया है।
- इस धारा में उद्घघोषित व्यक्ति की चल या अचल दोनो सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है।
- सामान्यतः न्यायालय उद्घघोषणा के पश्चात कुर्की का आदेश जारी करेगा।
- आपवादिक परिस्थिति में न्यायालय उद्घघोषणा के साथ कुर्की का आदेश भी कर सकता है ऐसा तब होगा जव –

1. उद्घघोषित व्यक्ति अपनी समस्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग व्ययन करने वाला हो ,
2. न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से सम्पत्ति हटाने वाला हो।

धारा – 84 कुर्की के वारे में दावे

- पृष्ठांकन उस वारण्ट के निष्पादन का पर्याप्त प्राधिकार होगा।
- वारण्ट के निष्पादन में स्थानीय पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
- आपवादिक स्थिति में ऐसे वारण्ट का निष्पादन बिना पृष्ठांकन के भी किया जा सकेगा।

और आपत्तियाँ–

- इस धारा के अन्तर्गत कुर्क की गई सम्पत्ति के वारे में दावे एवं आपत्तियो पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है
- दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 06 माह के अन्दर किया जा सकता है।
- दावा या आपत्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति कर सकता है
- दावा इस आधार पर किया जायेगा कि दावेदार का कुर्क सम्पत्ति में हित था
- दावेदार का ऐसा हित धारा 83 के तहत कुर्क नही किया जा सकता था
- जाँच के पश्चात ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है।

धारा – 85 कुर्क सम्पत्ति को निर्मुक्त,विक्रय और वापस करना

कुर्क सम्पत्ति को छोड़ने,बेचने, एवं वापस करने के बारे में प्रावधान किया गया है।

- कुर्क सम्पत्ति वापस की जाएगी यदि उदघोषित व्यक्ति उदघोषणा में निर्दिष्ट समय के अन्दर हाजिर हो जाता है।
- विनिर्दिष्ट समय के अन्दर हाजिर न होने पर कुर्क सम्पत्ति का विक्रय होगा।
- विक्रय धारा 84 के अधीन किसी दावे के निपटारे के पश्चात होगा।
- न्यायालय क्षयशील सम्पत्ति का विक्रय कभी भी करने का आदेश देगा।
- स्वामी के हित में विक्रय कभी भी किया जा सकता है।
- कुर्की की तारीख से 02 वर्ष के अन्दर हाजिर होने पर कुर्क सम्पत्ति वापस की जा सकती है।
- यदि उदघोषित व्यक्ति जानबूझकर फरार नहीं हुआ था या उसे उदघोषणा की सूचना नही मिली थी।
- इस धारा में पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

धारा – 87

समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना

न्यायालय तब कारण दर्शित करते हुये वारण्ट जारी करेगा जब-

- वह व्यक्ति फरार हो गया हो।
- यह विश्वास हो कि वह समन का पालन नहीं करेगा।
- समन की सम्यक तामील के पश्चात नियत तिथि पर व्यक्ति उपस्थित न हो।

धारा – 88 हाजिरी के लिये बन्धपत्र लेने की शक्ति

- बन्धपत्र न्यायालय द्वारा लिया जायेगा।
- बन्धपत्र उस न्यायालय या अन्य न्यायालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में होगा।
- बन्धपत्र प्रतिभुओं सहित या रहित दोनों हो सकता है।

धारा – 89 हाजिरी का बन्धपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी

- यह धारा उपस्थित होने के लिए बन्धपत्र का भंग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान करती है।
- यह व्यवस्था अभियुक्त एंव साक्षी दोनों पर लागू होती है।
- बन्धपत्र के भंग पर बिना जमानतीय वारण्ट जारी किया जा सकता है।

अध्याय – 07

चीजे पेश करने के लिये विवश करने हेतु आदेशिकाएँ

धारा – 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिये समन

- आदेश या समन किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने हेतु जारी होगा।
- अन्वेषण के दौरान थाने का भारसाधक अधिकारी आदेश देगा।
- जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के मध्य न्यायालय समन जारी करेगा।
- आदेश या समन उस व्यक्ति को होगा जिसके कब्जे व शक्ति में दस्तावेज आदि है।
- आदेश या समन का अनुपालन न करना धारा 175 भा0द0वि0 का अपराध होगा।
- इस धारा के प्रावधान धारा 123,124 साक्ष्य अधि0 पर प्रभाव नहीं डालेगें।
- इस धारा के प्रावधान डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगें।
- “व्यक्ति” शव्द में अभियुक्त व्यक्ति को सम्मिलित करना संविधान के विरुद्ध संविधान के अनु0 20 (3) का उल्लंघन होगा।
- अभियुक्त व्यक्ति को कोई दस्तावेज या चीज पेश करने हेतु वाध्य नही किया जा सकता है।

धारा – 93 तलाशी वारण्ट कब जारी किया जा सकता है

दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने का प्रावधान दिया गया है

- तलाशी वारण्ट कोई न्यायालय जारी करेगा।
- तलाशी वारण्ट तब जारी होगा जब धारा 91 व धारा 92 के अनुपालन में दस्तावेज या चीज प्रस्तुत नही होती है।
- न्यायालय तलाशी वारण्ट जारी करने का कारण अभिलिखित करेगा।
- तलाशी वारण्ट में जैसा निर्दिष्ट होगा उसके अनुसार तलाशी ली जायेगी।
- डाकतार अधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र आदि के लिए जिला मजिस्ट्रेट या सी जे एम तलाशी वारण्ट जारी करेगा।

धारा – 94

उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई सम्पत्ति, कूट रचित दस्तावेज या आपत्तिजनक वस्तु होने का सन्देह है

- तलाशी वारण्ट डीएम, एसडीएम, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा
- तलाशी के लिए कान्सटेविल से उपर पंक्ति का पुलिस अधिकारी अधिकृत है।
- तलाशी वारण्ट चुराई हुई सम्पत्ति, कूटरचित, दस्तावेज या आपत्तिजनक वस्तुओ के लिए
- उस स्थान की तलाशी जहाँ ऐसी वस्तु जमा है, या वेची जाती है या उत्पादित होती है।
- ऐसे स्थान की तलाशी वारण्ट में निर्दिष्ट रीति से की जाएगी।
- तलाशी में पायी गई वस्तुए अभिग्रहित की जाएगी।
- आपत्तिजनक वस्तुओ के उत्पादन मे प्रयुक्त उपकरण व सामग्री कब्जे में ली जायेगी।
- ऐसे स्थान में पाए गए अपराध से सशक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जायेगा।

धारा – 95

कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिये तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति

- प्रकाशनो को समपहृत करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है।
- राज्य सरकार ऐसा अधिसूचना जारी कर सकती है।
- ऐसे प्रकाशनो को समपहृत किया जायेगा जिसमें ऐसी बात प्रकाशित की गई है जिसका प्रकाशन भा0 दं0 सं0 की धारा 124 क, 153ख, 292, 293, 295क के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
- कोई मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकाशनो की जब्ती हेतु तलाशी वारण्ट जारी कर सकता है।
- तलाशी वारण्ट उपनिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा।

बारगुर रामचन्द्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य एस सीसी 2007 पेज 11 मे यह अवधारित किया गया कि यदि समपहृण लोकहित में किया गया है तो निःसन्देह एसे व्यक्तिगत हित पर वरीयता दी जायेगी।

धारा – 97 सदोष परिरूद्ध व्यक्तियों के लिये तलाशी

सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी के लिये मजिस्ट्रेट को वारण्ट जारी करने के लिये सशक्त बनाना है।

- जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी वारण्ट जारी किया जा सकता है।
- तलाशी वारण्ट परिरूद्ध व्यक्ति के लिये जारी होगा।
- परिरूद्ध व्यक्ति के मिलने पर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा – 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिये विवश करने की शक्ति

- मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का प्रयोग सशपथ परिवाद प्रस्तुत होने पर करेगा।
- जब किसी स्त्री को विधि विरूद्ध उद्देश्य से निरूद्ध रखा गया हो
- जब किसी 18 वर्ष से कम की बालिका को संरक्षक की इच्छा के बिना निरूद्ध किया गया हो
- मजिस्ट्रेट स्त्री को स्वतंन्त्र करने या बालिका को संरक्षक को वापस करने का आदेश देगा।

धारा – 100 बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे

- बन्द स्थान का भारसाधक व्यक्ति मांग करने पर तलाशी लेने देगा।
- ऐसे स्थान पर प्रवेश की अनुमति न मिलने पर धारा 47(2) के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- बन्द स्थान या उसके आस पास पाये गये सदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जायेगी।
- बन्द स्थान की तलाशी साक्षियों की उपस्थिति में ली जायेगी।
- बिना उचित कारण के तलाशी का साक्षी बनने से मना करने पर भा0द0सं0 की धारा 187 का अपराध होगा।
- तलाशी में कब्जे में ली गई सब चीजें की सूची तैयार की जायेगी।
- सूची पर स्वतंन्त्र साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे।
- सूची की एक प्रति बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति को दी जायेगी।

धारा 102– कुछ सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने की शक्ति प्रदान करती है-

- जिसके वारे में सन्देह हो कि वह चुराई हुयी है या
- ऐसी परिस्थिति मे पायी जाये ,जिससे किसी अपराध के किये जाने का सन्देह हो
- अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अभिग्रहण की रिपोर्ट थानाध्यक्ष को देगा
- अभिग्रहण की रिपोर्ट अधिकारीता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी

महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी नियोगी एस.सी.सी, 1999 पेज 685 मे उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि बैंक खाता धारा 102 मे परिभाषित सम्पत्ति शब्द के अन्तर्गत आता है ,अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बैंक खाते को अभिग्रहीत कर सकता **है**

धारा 105 - आदेशिकाओ के बारे मे व्यतिकारी (Reciprocal) व्यवस्था

समन,वारन्ट ,तलाशी वारन्ट आदि के बारे मे उन राज्य क्षेत्रो के बीच पारस्परिक व्यवस्था करना है

- जिन राज्य क्षेत्रो पर द0प्र0सं0 का विस्तार है।
- भारत के उन राज्य क्षेत्रो पर जहां संहिता का विस्तार नही है जैसे जम्मू और कश्मीर ,नागालैण्ड
- न्यायालय आदेशिका दो प्रतियो मे जारी करेगा
- आदेशिका तामील या निष्पादन हेतु अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा
- न्यायालय आदेशिका डाक द्वारा या अन्यथा भेजेगा
- भारत कै बाहर आदेशिका सविंदाकारी राज्य को ही भेजी जायेगी
- सविंदाकरी राज्य का न्यायालय उसकी तामील या निष्पादन करायेगा

अध्याय – 8

परिशान्ति कायम रखने के लिये और सदाचार के लिये प्रतिभूति

धारा 106 - दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूति

- प्रतिभूति सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय लेगा
- प्रतिभूति कतिपय अपराधो मे दोषसिद्धि पर ली जायेगी
- दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के हेतु ली जायेगी
- तीन वर्ष तक
- बन्धपत्र प्रतिभूति सहित या रहित
- अपील मे दोषसिद्ध अपास्त होने पर निष्पादित बन्धपत्र शून्य हो जायेगा
- प्रतिभूति देने का आदेश अपीलीय न्यायालय भी अपील मे कर सकता है

धारा 107 - अन्य दशाओ मे परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूति

- प्रतिभूति कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा
- ऐसे व्यक्ति से ली जायेगी जो परिशान्ति भंग करेगा या
- लोक परिशन्ति को विक्षुब्ध करेगा
- प्रतिभूति परिशान्ति कायम रखने के लिये ली जायेगी
- एक वर्ष तक
- बन्धपत्र प्रतिभू सहित या रहित निष्पादित करने का आदेश होगा
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता मे व्यक्ति या स्थान होना चाहिये ।

धारा 108

राजद्रोहात्मक बातो को फैलाने वाले व्यक्तियो से सदाचार के लिये प्रतिभूति

- बन्धपत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा
- एक वर्ष तक की अवधि के लिये होगा
- बन्धपत्र सदाचार के लिये लिया जायेगा
- प्रतिभू सहित या रहित दोनो हो सकेगा

धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियो से सदाचार के लिये प्रतिभूति

बन्धपत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति से -

- जो उसकी अधिकारिता मे अपना उपस्थिति छिपाने का प्रयास कर रहे है
- जिसके बारे मे आशंका है कि वह सज्ञेंय अपराध करने वाला है
- बन्धपत्र सदाचार बनाये रखने के लिया जायेगा
- बन्धपत्र एक वर्ष से अनधिक अवधि का लिया जा सकेगा
- बन्धपत्र प्रतिभू सहित या रहित

धारा 110 आभ्यासिक अपराधियो से सदाचार के लिये प्रतिभूति

बन्धपत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा

- ऐसा बन्धपत्र तीन वर्ष तक के लिए
- बन्धपत्र प्रतिभू सहित
- बन्धपत्र सदाचार के लिये
- इस धारा का उद्देश्य जनता को अभ्यस्त अपराधियो से संरक्षण प्रदान करना है।

धारा 111 आदेश का दिया जाना

आदेश में सम्मिलित होगा-

- मजिस्ट्रेट को प्राप्त सूचना का सार
- बन्धपत्र की रकम एवं बन्धपत्र की अवधि
- बन्धपत्र प्रतिभू सहित या रहित
- प्रतिभूओ की संख्या

धारा 112 न्यायालय मे उपस्थित व्यक्ति के बारे मे प्रक्रिया

- धारा 111 का आदेश पढकर सुनाया जायेगा
- यदि मांग पर आदेश का सार समझाया जायेगा।

धारा 113

ऐसे व्यक्ति के बारे मे समन या वारन्ट जो उपस्थित नही है

- उपस्थिति हेतु समन
- अभिरक्षा मे है तो वारन्ट

धारा 114 समन या वारन्ट के साथ आदेश की प्रति होगी

- समन या वारन्ट के साथ धारा 111 के आदेश की प्रति

धारा 115 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति

- मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त कारण होने पर वैयक्तिक हाजिरी से छूट
- उपस्थिति द्वारा अधिवक्ता मानी जायेगी

धारा 116 इत्तिला की सच्चाई के बारे मे जांच

- मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना की सत्यता के बारे मे जांच
- जांच के दौरान धारा 111 मे आदेशित व्यक्ति से बन्धपत्र
- जाँच 06 माह के अन्दर पूर्ण की जायेगी
- विशेष कारणो के आधार पर जांच 06 माह के आगे भी
- मजिस्ट्रेट अन्तःकालीन बन्धपत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है

धारा 117 प्रतिभूति देने का आदेश

- कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात बन्धपधत्र निष्पादित करने का अन्तिम आदेश देगा
- धारा 117 मे आदेश धारा 111 के आदेश के अधीन होगा
- बन्धपत्र की रकम मामले की परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुये नियत की जायेगी
- अवयस्क का बन्धपत्र उसके प्रतिभूओ द्वारा निष्पादित किया जायेगा

धारा 118

उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गयी है

जहां जांच से यह साबित नही होता कि बन्धपत्र लेना आवश्यक है वहां-

- मजिस्ट्रेट जांच के प्रयोजन से अभिरक्षा मे निरुद्ध व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देगा
- अभिरक्षा मे नही है तो उसे उसके दायित्व से उन्मोचित कर दिया जायेगा

धारा 119

जिस अवधि के लिये प्रतिभूति अपेक्षित की गयी है उसकी आरम्भ

- धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिये आदेश की अवधि आदेश की तारीख से प्रारम्भ होगी या
- मजिस्ट्रेट द्वारा नियत तारीख से
- दण्डादेश की समाप्ति पर प्रारम्भ होगी

धारा 120 बन्धपत्र की अन्तर्वस्तुये

- परिशांन्ति कायम रखने या सदाचारी बने रहने के लिये आबद्ध करेगा।
- बन्धपत्र देने के पश्चात कारावास से दण्डनीय अपराध करना या
- प्रयत्न करना या
- दुष्प्रेरण करना बन्धपत्र का भंग माना जायेगा

धारा 121 प्रतिभूओ के अस्वीकार करने की शक्ति

मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात-

- प्रतिभू को अस्वीकार कर सकता है
- पहले स्वीकार किये गये प्रतिभू को अस्वीकार कर सकते है
- जांच से पहले मजिस्ट्रेट प्रतिभू व आदेशित व्यक्ति को सूचना देगा
- प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार या अस्वीकार का कारण दर्शित करेगा

धारा 122 प्रतिभूति देने मे व्यतिक्रम होने पर कारावास

- प्रतिभूति देने मे चूक पर व्यक्ति को कारागार में भेज दिया जायेगा
- पहले से कारागार मे है तो अपेक्षित अवधि तक कारागार मे रखा जायेगा
- प्रतिभूति देने तक कारागार में रखा जायेगा।
- धारा 107 या 108 के अधीन प्रतिभूति देने मे चूक पर सादा कारावास
- धारा 109 व धारा 110 के अधीन प्रतिभूति देने में चूक पर सादा कारावास या कठिन कारावास

अध्याय -10

लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना

धारा 129 - सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना

- कार्यवही हेतु जमाव का विधि विरुद्ध होना आवश्यक
- जमाव से लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की सम्भावना हो
- जमाव को तितर बितर करने का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या
- थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा
- भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति मे उप निरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा
- जमाव को बिखेरने के लिये प्रथमतः आदेश दिया जाएगा
- आदेश से जमाव के तितर बितर न होने पर बल का प्रयोग

धारा 130 जमाव को तितर बितर करने के लिये सशस्त्र बल का प्रयोग

- जब सिविल बल के प्रयोग से जमाव तितर बितर नही होता
- आदेश उस समय उपस्थित उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा
- आदेश सशस्त्र बल की टुकडी का निर्देशन करने वाले अधिकारी को देगा
- सशस्त्र बल का अधिकारी आदेश का पालन करेगा

धारा 131 जमाव को तितर बितर करने की सशसत्र बल के कुछ अधिकारियो की शक्ति

- लोक सुरक्षा को स्पष्ट खतरा होने पर
- मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में
- सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी आदेश देगा
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क स्थापित हो जाने पर उसके आदेश का पालन करेगा

धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओ के अधीन किये गये कार्यों के लिये अभियोजन से संरक्षण

- बल के अधिकारी व सदस्यो को संरक्षण प्रदान किया गया है
- सरक्षणं तभी प्राप्त होगा जब कार्यवाही सदभावना पूर्ण हो
- सशस्त्र बल की अवस्था मे अभियोजन केन्द्रीय सरकार की अनुमति से संस्थित होगा
- अन्य अवस्थाओ मे अभियोजन राज्य सरकार की अनुमति से संस्थित होगा

धारा 133 न्यूसेन्स हटाने के लिये सशर्त आदेश

- लोक अपदूषण हटाने का सशर्त आदेश दिया जाता है
- आदेश पुलिस अधिकारी या अन्य स्त्रोतो से सूचना प्राप्त होने पर
- आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा
- आदेश न्यूसेन्स या बाधा पैदा करने वाले व्यक्तियो को देगा
- आदेशित व्यक्ति बाधा को दूर करेगा या उस पर आपत्ति करेगा
- आदेश को किसी सिविल न्यायालय मे प्रश्नगत नही किया जा सकता

धारा 144 न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले मे आदेश जारी करने की शक्ति

- आदेश आत्यान्तिक प्रकृति का होगा
- आदेश जिला मजिस्ट्रेट ,उपखण्ड मजि0 या इस निमित्त सशक्त अन्य कार्यपालक मजि0 द्वारा
- आपात की दशाओ मे आदेश एक पक्षीय रुप मे पारित किया जा सकता है
- आदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष क्षेत्र मे निवास करने वाले व्यक्तियो को या
- सामान्य जनता को निर्देशित होगा
- आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा
- राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा आदेश को 06 माह तक बढा सकती है
- कार्यपालक मजि0 व राज्य सरकार अपने आदेश को विखण्डित व परिवर्तित कर सकती है

धारा 145

जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है वहां प्रक्रिया

- धारा का उद्देश्य भूमि समबन्धी विवादो से उत्पन्न शान्ति भंग के खतरे का निवारण करना
- कार्यवाही कार्यपालक मजि0 के द्वारा
- कार्यवाही पुलिस अधिकारी या अन्य स्त्रोत से मिली सूचना पर
- कार्यवाही हेतु भूमि या जल से सम्बन्धित कोई विवाद अवश्य होना चाहिये
- विवाद के कारण शान्ति भंग होने की संभावना होनी चाहिये

धारा 146

विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति

- जब मजिस्ट्रेट धारा 145 के अधीन आदेश के पश्चात मामले को आपातिक समझता है
- जब मजि0 यह समाधान नही कर पाता कि विवाद की विषय वस्तु पर किसका कब्जा है
- मजि0 विवादग्रस्त सम्पत्ति की देखभाल हेतु प्रापक नियुक्त कर सकता है
- विवाद ग्रस्त सम्पत्ति के कब्जे के बारे मे सिविल न्यायालय का निष्कर्ष अन्तिम होगा

अध्याय -11

पुलिस का निवारक कार्य

धारा 149

पुलिस का सज्ञेंय अपराधो का निवारण करना

इस धारा मे प्रत्येक पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह

- सज्ञेंय अपराधो की रोकथाम के लिये उसमे हस्तक्षेप करे

धारा 150

सज्ञेंय अपराधो के किये जाने की परिकल्पना की इत्तिला

- इस धारा मे प्रत्येक पुलिस अधिकारी पर सूचना देने का दायित्व निर्धारित किया गया है।
- सूचना उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसके वह अधीनस्थ है या
- अधिकरी को देगा जिसका कर्तव्य अपराध का निवारण करना है या
- जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध का सज्ञांन करना है।

धारा 151

सज्ञेंय अपराधो का किया जाना रोकने के लिये गिरफ्तारी

- जब पुलिस अधिकारी को किसी सज्ञेंय अपराधो की परिकल्पना का पता चलता है
- सज्ञेंय अपराध का किया जाना अन्यथा नही रोका जा सकता है
- पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है
- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घन्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा मे नही रखा जायेगा

अध्याय – 12

पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ

धारा 154 – संज्ञेय मामलो में इत्तिला

- सूचना मौखिक या लिखित दोनो होगी
- सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जायेगी
- सूचक को पढकर सुनायी जाएगी।
- सूचना पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे
- सूचना का सार जी0डी0 में अंकित किया जायेगा
- प्रतिलिपि इत्तिला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।
- इन्कार करने की दशा में व्यथित व्यक्ति सूचना सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को

- पुलिस अधीक्षक स्वंय या अपने अधीनस्थ को अन्वेषण हेतु निर्देश देगा।
- कतिपय अपराधो की सूचना महिला द्वारा दिये जाने पर महिला पुलिस अधिकारी या
- महिला अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी।
- शारीरिक या मानसिक रुप से निर्योग्य महिला के विरुद्ध लैगिंक अपराध होने की दशा में इत्तिला –
- पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निवास स्थान या पसन्दीदा स्थान पर
- द्विभाषिया (INTERPRETER) या विशेष प्रबोधक (SPL. EDUCATOR) की उपस्थिति में लिखी जायेगी।
- ऐसी इत्तिला को अभिलिखित करने की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

धारा 155

असंज्ञेय मामलों में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण

- इत्तिला मौखिक या लिखित होगी
- इत्तिला का सार जी0 डी0 में दर्ज किया जायेगा
- अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जाएगा।
- दो या दो से अधिक अपराधों में कम से कम एक अपराध संज्ञेय है तो पूरा मामला संज्ञेय अपराध होगा।

धारा 156

संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

- अन्वेषण थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा
- अन्वेषण की कार्यवाही का प्रश्नगत न होना
- धारा 190 के अन्तर्गत सशक्त कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

धारा 157

अन्वेषण के लिए प्रक्रिया

- थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- आवश्यकतानुसार मौके पर स्वयं जायेगा या अधीनस्थ को भेजेगा।
- पर्याप्त कारण न पाने पर अन्वेषण नही करेगा।
- सूचनाकर्ता को सूचित करेगा।

धारा 158 - रिपोर्ट कैसे दी जाएगी

- पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजेगा
- वरिष्ठ अधिकारी भारसाधक को जैसा ठीक समझे अनुदेश दे सकेगा।

धारा 159- अन्वेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति

- उक्त रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट अपराध का अन्वेषण करने का आदेश दे सकेगा
- मजिस्ट्रेट स्वंय जाँच करेगा या अधीनस्थ को नियुक्त करेगा

धारा 160

साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

- थाने का भारसाधक अधिकारी लिखित आदेश से तथ्य से परिचित व्यक्ति को बुला सकता है
- लिखित आदेश प्राप्त होने पर वह व्यक्ति साक्ष्य के लिए उपस्थित होगा।

अपवाद –

- पुरुष 15 वर्ष से कम आयु,
- 65 वर्ष से अधिक आयु,
- महिला
- शारीरिक या मानसिक रुप से निर्योग्य व्यक्ति को

उनके निवास स्थान से भिन्न स्थान पर बुलाया नहीं जा सकेगा।

धारा 161 - पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा

- साक्षियों से पूछताछ
- साक्षी सही बात वतायेगा।
- साक्षियो का कथन पृथक – पृथक लिपिबद्ध किया जायेगा।
- कथन का अभिलेखन ऑडियो-वीडियो साधनो से भी किया जा सकता है।

धारा 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षारित न किया जाना। कथनों का साक्ष्य में उपयोग

- कथन पर हस्ताक्षर नही लिये जायेगें।
- न्यायालय की अनुमति के बिना अभियोजन पक्ष उसका उपयोग नहीं कर सकता

सामान्यतः ऐसे कथनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है –

- प्रति परीक्षा (CROSS EXAMINATION) में आने वाले किसी विषय की पुनः परीक्षा (RE-EXAMINATION) में व्याख्या के लिए।
- न्यायालय की अनुमति से भा0 सा0 अधि0 की धारा 145 के अन्तर्गत विरोधाभास के लिए
- कथन करने वाले की मृत्यु होने की दशा में मृत्युकालिक के कथन के रुप में

स्पष्टीकरण– अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथन में तथ्य या परिस्थिति का लोप (OMISSION) से खण्डन हो सकता है।

- कोई लोप विशिष्ट संदर्भ में खण्डन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।

धारा 163 – कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना

- कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भा0सा0अधि0 की धारा 24 में वर्णित उत्प्रेरणा , धमकी , या वचन न तो देगा और न दिलवाएगा ।

- पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चेतावनी नही देगा।

धारा 164- संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना

- कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या न हो अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व अभियुक्त द्वारा किए गए संस्वीकृति के कथन को लिपिबद्ध कर सकेगा।
- संस्वीकृति अभिलिखित करने का अधिकार सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

संस्वीकृति के कथन को अभिलिखित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट –

(i) – अभियुक्त को वतायेगा कि वह संस्वीकृति के लिए वाध्य नही हैं।

(ii)- यदि वह करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग होगा।

(iii)- स्वेच्छा से की गई संस्वीकृति ही लिखी जायेगी।

- संस्वीकृति या कथन का अभिलेखन अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में आडियो-वीडियों इलेक्ट्रानिक माध्यम से
- इन्कारी की स्थिति में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में नही दे सकेगा।
- संस्वीकृति की दशा में मजिस्ट्रेट ज्ञापन तैयार करेगा।

- भा0द0सं0 की धारा 354/ 354क/ 354ख/ 354ग/ 354घ/ 376(1)/ 376(2)/ 376क/ 376ख/ 376ग/ 376घ/ 376ड/ या धारा 509 के अधीन दण्डनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति से ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसे ही पुलिस के संज्ञान में लाया जाता है लिखेगा - ***परन्तु***

यदि कथन करने वाला व्यक्ति " स्थायी या अस्थायी रुप से मानसिक या शारीरिक रुप से निर्योग्य " है तो द्विभाषिये या प्रबोधक की मदद से व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियों फिल्म तैयार की जाएगी। उपरोक्त अस्थायी या स्थायी रुप से मानसिक या शारीरिक रुप से निर्योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए कथन का इस्तेमाल विचारण के समय मुख्य परीक्षा के रुप मे किया जाएगा जिस पर ही विपक्षी जिरह कर सकेगा।

- संस्वीकृति या कथन लिखने वाला मजिस्ट्रेट अभिलिखित उपरोक्त को उस मजिस्टेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा विचारण किया जाना है

धारा 164 क- बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा

- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पीडित महिला की सहमति से या उसके वास्ते सहमति दे सकने वाले व्यक्ति की सहमति से डाक्टरी परीक्षण
- FIR पंजीकृत होने के समय से 24 घण्टे के अन्दर पीडिता को डाक्टर के पास पुलिस द्वारा भेजा जाएगा।
- डाक्टर अविलम्व "परीक्षा" कर रिपोर्ट को विवेचक के पास भेजेगा रिपोर्ट में निम्न ब्यौरा होगा –
- महिला का व जो व्यक्ति उसे डाक्टर के पास ले गया नाम व पता
- आयु
- डी.एन.ए. हेतु शरीर से ली गयी सामग्री का वर्णन
- चोटें
- महिला की साधारण मानसिक दशा

- अन्य तात्विक विशिष्टियां
- सहमति दिए जाने के सम्वन्ध में
- परीक्षण प्रारम्भ तथा समाप्ति के सम्वन्ध में
- विवेचक मेडिकल रिपोर्ट को धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में केस डायरी (C D) का भाग बनाएगा।
- सहमति के बिना किया गया परीक्षण विधिमान्य नही है।

धारा 165- पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी

- थानाध्यक्ष अथवा विवेचक अन्वेषण के प्रयोजन से थानो की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान की तलाशी किसी चीज की बरामदगी हेतु कर सकेगा
- स्वयं तलाशी लेने में असमर्थता की दशा में पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को लिखित में तलाशी आदेश दे सकेगा
- यथासम्भव ***" तलाशी वारण्ट सम्वन्धी उपबन्ध*** " तथा ***"धारा 100 के तहत तलाशी"*** के उपबन्धो को ध्यान में रखकर उपरोक्त पुलिस अधिकारी तलाशी लेगा।
- तैयार किए गए फर्द की प्रतियां तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी
- आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट एक प्रति निःशुल्क उस व्यक्ति को देगा जिसकी स्थान की तलाशी ली गयी है

धारा 166

पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है

- पुलिस थाने से भिन्न किसी थाने की सीमाओं के अन्दर किसी भी जिले के किसी स्थान की तलाशी ली जानी है तो वह उस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा तलाशी लिवा सकेगा।
- कतिपय विशेष परिस्थितियों में अपेक्षा करने वाला पुलिस अधिकारी स्वयं तलाशी ले सकेगा ये परिस्थितियां निम्न हो सकेगी –समयाभाव

धारा 166 क - भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र

- अन्वेषक या उससे पक्तिं मे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह पाता है कि मामले से सम्वन्धित साक्ष्य विदेश में मिल सकता है वह न्यायालय में आवेदन देगा जिस पर दाण्डिक न्यायालय केन्द्र सरकार के माध्यम से उस विदेश के न्यायालय को अनुरोध पत्र भेजकर अन्वेषण करा सकेगा।

धारा 166 ख - भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र

- भारत के वाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध किये जाने के वारे में प्रावधान करती है।

धारा 167

जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रकिया

- 24 घण्टे में अन्वेषण पूरा नहीं होने पर पुलिस अधिकारी मामले से सम्वन्धित तथ्यों के कथन सहित अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट निरोध की कालावधि को वढा सकेगा लेकिन अवधि 01 वार में 15 दिनों से अधिक की नही होगी।
- 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय मामले में 90 दिन की अवधि में आरोप पत्र पेश न किए जाने पर जमानत पर छोडा जा सकेगा
- अन्य अपराध की दशा में आरोप पत्र 60 दिनों की अवधि में न्यायालय में आने चाहिए
- आरोप पत्र न आने पर अभियुक्त जमानत पर छोडा जा सकेगा।
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट 07 दिवस का अभिरक्षा रिमाण्ड दे सकेगा।
- पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्रथम रिमाण्ड दिए जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के अन्दर

धारा 168 - अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट

- अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अन्वेषण की रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को देगा।

धारा - 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोडा जाना

थाने का भारसाधक अधिकारी उचित आधार न पाने पर अभियुक्त को –

- मजिस्ट्रेट के पास नही भेजेगा
- प्रतिभूति सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादन की दशा में छोड देगा।

धारा 170

जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना

- थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेजेगा।
- आयुध या अन्य वस्तु भी भेजेगा।
- जमानत की दशा में मूल बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा।
- बन्ध पत्र की प्रतिलिपि निष्पादक को भी देगा।

धारा 171

परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना

जब कोई परिवादी अथवा साक्षी न्यायालय में जा रहा हो तब -

(i) उससे पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी।

(ii) उसे अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन न किया जाएगा और

(iii) न उसे अपनी उपस्थिति के लिए उसके अपने बन्धपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी

धारा 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी

केस डायरी में निम्न बातों का उल्लेख रहता है –

(i)- अपराध की सूचना मिलने का समय

(ii)- अन्वेषण का आरम्भ एवं समाप्ति का समय

(iii)- वह स्थान जहाँ अन्वेषण के दौरान जाया गया

(iv)- अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियां

- साक्षियों के कथन केस डायरी में लिखे जाएगे तथा जो पुस्तिका के रुप मे सम्यक रुपेण पृष्ठ संख्यांकित होगा
- केस डायरी का प्रयोग अभियुक्त द्वारा नही किया जा सकता है।

धारा 173 – अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट

पुलिस रिपोर्ट में निम्न का व्योरा होगा-

(i) पक्षकारों के नाम

(ii) इत्तिला का स्वरुप

(iii) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम

(iv) यदि अपराध किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा

(v) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है

(vi) क्या वह अपने बन्धपत्र पर छोड दिया गया है और छोडा गया है तो प्रतिभू सहित या रहित

(vii) क्या वह द0प्र0सं0 की धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है रिपोर्ट के साथ भेजी जाने वाली अन्य सामग्री

(i) वे सभी दस्तावेज जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है।

(ii) उन सब व्यक्तियों के धारा 161 के अन्तर्गत अभिलिखित कथन

- धारा 173 (8) के तहत अग्रिम अन्वेषण की जा सकेगी।

धारा 174

आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना

- जब भी थाने के किसी भारसाधक अधिकारी को यह सूचना मिले कि

(i) किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या

(ii) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जन्तु द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है या

(iii) कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जहां सन्देह हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह पुलिस अधिकारी –

i. मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी अविलम्ब सूचना देगा।

(ii) ऐसे स्थान पर जाएगा जहां मृत व्यक्ति का शरीर हो और वहां दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा

(iii) ऐसे अन्वेषण पर मृत्यु के दृश्यमान कारणों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा

- शव को परीक्षण हेतु अर्हता प्राप्त चिकित्सक को भेजेगा।

धारा 175 – व्यक्तियों को समन करने की शक्ति

- पुलिस अधिकारी को दो या अधिक व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजन से लिखित आदेश द्वारा आहूत कर सकता है
- अन्वेषक द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध है

धारा 176- मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

दहेज मृत्यु के मामले में मृत्यु के कारण की जाँच –

- मृत्यु की समीक्षा करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट करेगा।
- जहां अभिरक्षा में (i) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है अथवा

  (ii) किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया है
- तो अन्वेषण के अतिरिक्त जाँच अधिकारिता रखने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा
- मजिस्ट्रेट मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को खुदवाकर परीक्षण करा सकेगा।

अध्याय- 13

जाँचो और विचारणो में दण्ड न्यायालयो की अधिकारिता

धारा – 177 जाँच और विचारण का मामूली स्थान

- जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसकी अधिकारिता में अपराध हुआ हो।

धारा – 178 जाँच और विचारण का स्थान

- जहाँ यह अनिश्चित है कि अपराध कई न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र में से किसमें हुआ है
- जहाँ अपराध आँशिक रूप से एक न्यायालय व आंशिक रूप से दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुआ है
- जहाँ अपराध निरन्तर चालू रहने वाला है तथा एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता है।
- जहाँ अपराध विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में किये गये कार्यों से मिलकर बनता है
- अपराध की जाँच और विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता में अपराध या उसका कोई भाग हुआ है।

धारा 179- अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला हो

- जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जहाँ कार्य किया गया हो, या
- जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जहाँ परिणाम निकला हो

धारा 180- जहाँ कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान

- जहाँ कोई कार्य स्वंय में अपराध है या अपराध होता
- जहाँ अन्य कार्य अपराध है वहाँ जाँच और विचारण
- उस न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता में दोंनों में से कोई कार्य किया गया हो

धारा 181- कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान

- ठगी एवं डकैती सम्बन्धी अपराधों की जाँच एवं विचारण
- व्यपहरण एवं अपहरण सम्बन्धी अपराधों की जाँच और विचारण
- चोरी, उद्दापन एवं लूट सम्बन्धी अपराधों की जाँच और विचारण
- आपराधिक दुर्विनियोग एवं न्यासभंग सम्बन्धी अपराधों की जाँच और विचारण
- चुराई गई सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की जाँच और विचारण

उपरोक्त अपराधो की जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा जहाँ कोई अपराध घटित हुआ

धारा 182- पत्रों आदि द्वारा किये गये अपराध

ऐसे अपराधों की जाँच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा-

- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत पत्र भेजे गये हैं या
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत पत्र प्राप्त हुए हैं

द्विविवाह के अपराध की जाँच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा-

- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत अपराध किया गया है या
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत पति या पत्नी के साथ अन्तिम बार निवास किया हो या
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के पश्चात् स्थायी रूप से निवास करती है

धारा 183- यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध

- जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अभियुक्त या
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध अपराध हुआ
- वस्तु जिसके बारे में अपराध किया गया यात्रा के दौरान की गई या गायब हुई है
- इस धारा की प्रायोज्यता हेतु यात्रा का निरन्तर रहना आवश्यक है।

अध्याय- 14

कार्यवाहियां शुरु करने के लिए अपेक्षित शर्ते

धारा 190- मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान

- कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निम्न दशाओं में अपराधों का संज्ञान कर सकेगा-
- परिवाद पर
- पुलिस रिपोर्ट पर
- किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त होने पर या स्वंय की जानकारी पर

धारा 195

लोक न्याय के विरूद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिये गये दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए लोकसेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन

- ऐसे अपराधों का संज्ञान लिखित परिवाद पर होगा
- परिवाद लोकसेवकों अथवा न्यायालय द्वारा
- भा0द0सं0 की धारा 172से 188 तक में वर्णित अपराध
- भा0द0सं0 की धारा 193 से 196 तक धारा 199,200,205 से 211 तक एवं 228 में वर्णित अपराध
- भा0द0सं0 की धारा 463,471,475 एवं 476 में वर्णित अपराध

धारा 196

राज्य के विरूद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के लिए अभियोजन

- निम्न अपराधों का संज्ञान न्यायालय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा-
- भा0द0सं0 के अध्याय 6 के अन्तर्गत कारित किसी अपराध का
- भा0द0सं0 की धारा 153क,295क,505(1) के अन्तर्गत कारित किसी अपराध का
- ऐसा अपराध कारित करने के आपराधिक षडयन्त्र का
- निम्न अपराध का संज्ञान न्यायालय केन्द्रीय सरकार , या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से करेगा-
- भा0द0सं0 की धारा 153ख या धारा 505(2)व (3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का
- ऐसा अपराध करने के आपराधिक षडयन्त्र का

धारा 197-न्यायाधीशों और लोकसेवकों का अभियोजन

- इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधीशों और लोकसेवकों को अभियोजन के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।
- अभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी तभी आवश्यक है जब अपराध लोकसेवक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो
- इस धारा का संरक्षण उन्ही लोकसेवकों को प्राप्त है जिन्हे सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता हो।
- संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से
- राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से
- संघ के सशस्त्र बल के सदस्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से
- राज्य बल के सदस्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से

धारा 198- विवाह के विरूद्ध अपराधों के लिए अभियोजन

- संज्ञान व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर

अपवादः-कब व्यथित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं-

- जहाँ व्यथित व्यक्ति 18 वर्ष से कम , जड़ या पागल है
- जहाँ व्यथित व्यक्ति रोग या अंगशैथिल्य के कारण परिवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है
- जहाँ परिवाद करने वाली पर्दानशीन महिला है
- जहाँ परिवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति संघ के सशस्त्र बल की सेवा में है
- जहाँ द्विविवाह के अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है

धारा 198क

भा0द0सं0 की धारा 498(क) के अधीन अपराधों का अभियोजन संज्ञान

- पुलिस रिपोर्ट पर
- व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर
- व्यथित व्यक्ति के रक्त या विवाह से सम्बन्धित व्यक्ति के परिवाद पर न्यायालय संज्ञान करेगा।

धारा 199- मानहानि के लिए अभियोजन

- मानहानि सम्बन्धी अपराधों का संज्ञान व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर-

अपवादः-कब व्यथित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं-

- जहाँ व्यथित व्यक्ति 18 वर्ष से कम , जड़ या पागल है
- जहाँ व्यथित व्यक्ति रोग या अंगशैथिल्य के कारण परिवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है
- जहाँ परिवाद करने वाली पर्दानशीन महिला है
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के मामले में लोकअभियोजक परिवाद प्रस्तुत करेगा

अध्याय- 15

मजिस्ट्रेटों से परिवाद

धारा 200- परिवादी की परीक्षा

- परिवादी एवं साक्षियों की शपथ पर परीक्षा
- परीक्षा का सारांश लेखवद्ध किया जाएगा
- कथन पर परिवादी साक्षी के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर

अपवाद – कब मजिस्ट्रेट परिवादी व साक्षी की परीक्षा हेतु वाध्य नही है

- जब परिवाद लिखित रुप में लोक सेवक द्वारा किया गया है
- ऐसा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है या
- परिवाद न्यायालय द्वारा किया गया है

धारा – 202

आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना

- इस धारा का उदेद्श्य परिवाद की सत्यता का पता लगाना है
- मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करना स्थगित कर स्वयं मामले की जांच कर सकता है या
- अन्वेषण के लिये पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है
- जांच में यदि मजिस्ट्रेट सही समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है

अध्याय- 16

मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ

धारा 204 – आदेशिका का जारी किया जाना

जब अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह-

- समन मामले में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी करेगा।
- वारण्ट मामले मे वारण्ट या यदि उचित प्रतीत होता हो तो समन जारी करेगा ।
- मामले मे तब तक कोई समन या वारण्ट जारी नही किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नही कर दी जाती है।
- लिखित परिवाद पर समन या वारण्ट के साथ परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी।

धारा 209

जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना

- अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है वह -मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर देगा
- जमानत सम्वन्धी उपबन्धों के अधीन अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा।
- मामले से सम्बन्धित अभिलेख उस न्यायालय को भेजेगा।
- मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की सूचना लोक अभियोजक को देगा।

अध्याय- 17

आरोप

धारा 211 - आरोप की अन्तर्वस्तु

- आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है
- यदि कानून में उसे कोई भी विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो उसका नाम
- यदि कानून द्वारा कोई नाम नहीं दिया गया है तो उस अपराध की परिभाषा दी जाए
- कानून व कानून की वह धारा का उल्लेख
- यह तथ्य की आरोप लगा दिया गया है यह माना जाएगा कि आरोपित अपराध बनता है
- आरोप में पूर्व दोषसिद्धि का विवरण यदि आवश्यक हो तो उल्लिखित किया जाए

धारा 219

एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा

इस धारा की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित तीन वातो का होना आवश्यक है

- अपराध एक ही प्रकार के हो
- ऐसे अपराध तीन से अधिक न हो
- ऐसे अपराध एक ही वर्ष के अन्दर किए गए हो

तो तीन अपराध का एक साथ आरोप विचरित होगा तथा उनका एक साथ विचारण होगा

अध्याय- 21 क

प्ली बारगेनिंग

धारा 265 – सौदा अभिवाक् (प्ली बारगेनिंग)

सौदा अभिवाक क्या है-

- अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है
- अभियुक्त शिकायतकर्ता को प्रतिकर का भुगतान करने का समझौता कर लेता है
- तब अभियुक्त को बहुत कम सजा या प्रोवेशन पर मुक्त कर दिया जाता है।

किन अपराधों में सौदा अभिवाक् लागू होगा

- ऐसे अपराध जिसमें सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है ।
- जो अपराध महिला या 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध न हो
- ऐसे अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित न करता हो।
- उस अपराध में अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि न हो।

सुलह समझौते के आधार पर मामले का निपटारा-

न्यायालय निम्न तरीके से मामले का निपटारा करेगा-

- न्यायालय समझौते के अनुसार पीडित को प्रतिकर देने का आदेश कर सकता है
- अभियुक्त को भर्त्सना के वाद परिवीक्षा पर छोड़ सकता है
- अभियुक्त को प्रथम अपराधी मानकर परिवीक्षा पर छोड सकता है ।
- न्यूनतम दण्ड के आधे दण्ड से अभियुक्त को दण्डित कर सकता है
- जहां न्यूनतम दण्ड नही है वहां उपबन्धित दण्ड के ¼ भाग के दण्ड से दण्डित कर सकता है
- ऐसे मामले में न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा मामले मे कोई अपील नही होगी ।
- कार्यवाही में किए गए अभियुक्त के कथन का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नही होगा।

अध्याय -22

कारागारों में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी

धारा 267

बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति

- आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा।
- कारागार के भारसाधक अधिकारी के नाम दिया जाएगा।
- आदेश जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान दिया जाएगा।
- ऐसा आदेश कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए होगा।
- कारागार में निरुद्ध व्यक्ति की साक्षी के रुप में परीक्षा किए जाने के लिए होगा।
- आदेश अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए होगा।

धारा 268

धारा 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति

- आदेश अपराध की प्रकृति के कारण हो सकता है।
- व्यक्ति को कारागार से हटाने पर लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना के कारण हो सकता है
- आदेश लोकहित में

धारा 269

कारागार से भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना

ये आकस्मिकतायें निम्नलिखित हो सकती है

- बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के अयोग्य होना।
- जब ऐसे व्यक्ति पर धारा 268 के अधीन राज्य सरकार का कोई आदेश लागू है।
- विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन होना।
- विचारण लम्बित रहने तक केलिए प्रतिप्रेषित होना
- अपेक्षित समय का न होना

धारा 270- बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना

- जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए
- न्यायालय उसे पुनः कारागार में ले जाने का आदेश जब तक न दे।

अध्याय - 23

जांचो व विचारण में साक्ष्य

धारा 299 - अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख

साक्ष्य तब अभियुक्त की अनुपस्थिति में लिखा जाएगा जब

(i) यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है

(ii) उसकी निकट भविष्य में गिरफ्तारी की संभावना नही है

साक्ष्य अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य में तब दिया जा सकता है जब –

(i) साक्षी मर गया हो

(ii) साक्षी मिल न सकता हो

(iii) साक्षी साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो।

(iv) साक्षी की उपस्थिति इतने विलम्व या असुविधा के विना नही कराई जा सकती जितने मामले की परिस्थितियों में आवश्य हो।

उपधारा – 2 – न्यायलय द्वारा जाँच के दौरान साक्ष्य का अभिलेखन

(i) जब मृत्यु या अजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किया गया हो

(ii) अपराध अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया हो

(iii) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जांच का आदेश देगा

(iv) जांच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी

(v) जांच के दौरान साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा

(vi) साक्ष्य वाद में अभियुक्त वने व्यक्ति के विरुद्ध तब प्रयुक्त होगा

(vii) यदि साक्षी मर गया है , साक्ष्य देने में असमर्थ है , या भारत की सीमाओं के परे है।

अध्याय-24

जांचो व विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान

धारा 306 – सह अपराधी को क्षमादान

- क्षमा का निविदान (टेण्डर)करने के लिए निम्न मजिस्ट्रेट सक्षम है -

(i) अन्वेषण, जांच, या विचारण के प्रक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(ii) जांच या विचारण के प्रक्रम में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

- गम्भीर प्रकृति के अपराधों पर लागू होती है
- अपराध जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास या कठोर दण्ड का प्रावधान है
- क्षमा का निविदान सशर्त किया जाता है।

धारा 309- कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति

- प्रत्येक जांच और विचारण की कार्यवाही त्वरित की जाएगी
- साक्षी की परीक्षा प्रारम्भ होने पर दिन प्रतिदिन की जाएगी
- मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित कर जांच या विचारण को स्थगित कर सकता है
- स्थिति में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा
- मजिस्ट्रेट अभियुक्त को एक वार में 15 दिन से अधिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित नही करेगा

अध्याय-26

न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारें में उपबन्ध

धारा 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया

- यह धारा भा0द0वि0 की धारा 175,178,179,180 या 228 पर लागू
- उक्त अपराध न्यायालय की उपस्थिति या दृष्टिगोचरता में हुआ हो।
- अभि0 को अभिरक्षा में निरूद्ध करा सकेगा।
- न्यायालय के उठने के पूर्व किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकेगा, एंव
- एंव अपराधी को यह कारण दर्शित करने का कि उसे इस धारा के अधीन क्यों न दण्डित किया जाये।
- युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसे 200/- रू0 तक के जुर्माने या जुर्माने के भुगतान में चूक किया जाने पर एक माह का कारावास जो सादा होगा दण्डित कर सकेगा।

धारा 350

समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिये सक्षिप्त प्रक्रिया

- जव साक्षी समन का अनुपालन न करे।
- ऐसे व्यक्ति को इस बात का कारण दर्शित करने का कि उसे क्यों न दण्डित किया जाये
- सक्षिप्त विचारण कर 100/- रू0 तक के जुर्माने से दण्डित

अध्याय-27

निर्णय

धारा 360

सदाचरण की परवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश

- जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है अथवा
- जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का या
- कोई महिला जो ऐसे अपराध के लिये जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है दोषसिद्ध की जाती है
- जहाँ अपराधी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि सावित नही है वहाँ न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर छोड सकेगा।
- इस धारा का प्रावधान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानो पर प्रभाव नही डालेंगे।

अध्याय-29

अपील

धारा 377 - राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध अपील

- उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के दण्डादेश की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।
- अपील राज्य सरकार के आदेश पर होगी।
- राज्य सरकार लोक अभिजोयक को अपील दायर करने का निर्देश देगी।
- धारा 372 के परन्तुक के अनुसार अभियुक्त को दोषमुक्त/ न्यूनतर अपराध / अपर्याप्त प्रतिकर की दशा में पीडित भी अपील कर सकता है।

धारा 378 – दोषमुक्ति की दशा में अपील

- संज्ञेय एवं अजमानतीय मामलों में अपील दायर होगी।
- मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में दायर होगी।
- अपील जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दायर होगी।
- अपील लोक अभियोजक द्वारा दायर की जायेगी।
- परिवाद के मामलो में अपील उच्च न्यायालय में दायर होगी।
- उच्च न्यायालय में कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दायर होगी।
- धारा 372 के परन्तुक के अनुसार अभियुक्त को दोषमुक्त/ न्यूनतर अपराध / अपर्याप्त प्रतिकर की दशा में पीडित भी अपील कर सकता है।

अध्याय-33

जमानत और बन्धपत्रो के बारे में उपबन्ध

धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जायेगी

- जमानतीय अपराध में जमानत थाने के भारसाधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ली जायेगी
- निर्धन को उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोडा जा सकता है।

धारा 436ए

अधिकतम अवधि जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरूद्ध किया जा सकता है

- मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त अन्य अपराधो की दशा में यदि अपराधी उपबन्धित दण्ड के आधे से अधिक का कारावास भोग चुका है तो उसे छोडा जा सकता है
- किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति उपबन्धित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरूद्ध नहीं रखा जायेगा।

धारा 437 अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी

- अजमानतीय अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
- सामान्यतः मृत्यु दण्ड व आजीवन कारावास के मामले में मजिस्ट्रेट को जमानत देने की अधिकारिता नही है।
- यदि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कारित कोई अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है तो ऐसा अपराध करने वाला अभियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोडा जा सकेगा यदि वह-

1. 16 वर्ष से कम आयु का है।
2. स्त्री है अथवा
3. रोगी या शिथिलांग

धारा 438

गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की जमानत मजूंर करने के लिये निर्देश

- जमानत देने का अधिकार उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को ही प्राप्त है।

अग्रिम जमानत की दशा में-

- अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने पुलिस अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जायेगा।

धारा 439 जमानत के बारे मे उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की शक्तियां

- किसी अभियुक्त को जमानत प्रदान कर सकते है।
- शर्तो के उल्लंघन पर जमानत को निरस्त कर गिरफ्तारी का आदेश कर सकती है

धारा 440 बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना

- बन्धपत्र की रकम का परिस्थितियो के अनुसार तय होगी।
- बन्ध पत्र की रकम अत्यधिक नही होगी।

धारा 441 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बन्धपत्र

- वह बन्धपत्र मे वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होगा या होता रहेगा
- वह अपने पर लगाये गये आरोप का उत्तर देने के लिये आबद्ध होगा

धारा 441 क –प्रतिभुओं द्वारा घोषणा

- सभी सुसंगत विशिष्टियाँ होगी।

अध्याय-34

सम्पत्ति का व्ययन

धारा 456 स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति

- ऐसे व्यक्तियो के हितो की रक्षा जो किसी अचल सम्पत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है
- न्यायालय कब्जे से वेदखल किये गये व्यक्ति को पुनः कब्जा दिला सकेगा।
- न्यायालय आदेश दोषसिद्धि के समय अथवा दोषसिद्धि के आदेश के एक माह के भीतर कभी भी कर सकता है

धारा 457 सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया

जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसी कोई सम्पत्ति जब्त करता है और मजि0 के समक्ष उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो मजि0 –

1. उस सम्पत्ति के व्ययन का आदेश दे सकेगा या
2. उसे उस व्यक्ति को परिदत्त करने का आदेश दे सकेगा जो उस पर कब्जा प्राप्त करने का दावा रखता है या
3. यदि ऐसे व्यक्ति को अभिनिश्चित नही किया जा सकता हो तो उसकी अभिरक्षा का एवं उसे उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाने का आदेश दे सकेगा।

फिर उपधारा 2 के अनुसार वह

क- उस सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये अधिकृत व्यक्ति को, यदि वह ज्ञात है, किन्ही शर्तो पर परिदत्त किया जाने का आदेश दे सकेगा और

ख- यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो ऐसी सम्पत्ति को निरुद्ध करने तथा उसके सम्बन्ध मे हक रखने वाले व्यक्ति को छः माह के अन्दर अपना दावा प्रस्तुत किये जाने के आशय की उद्घघोषणा कर सकेगा

इस प्रकार उपधारा 2 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जहां जब्त की गयी सम्पत्ति का स्वामी अज्ञात है।

धारा 458 -जहाँ 06 माह के भीतर कोई दावेदर हाजिर न हो वहाँ प्रक्रिया

- वह राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी
- राज्य सरकार उसका विक्रय कर सकेगी एंव
- विक्रय के आगमो के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी जो वह विहित करे।

ऐसा आदेश तभी दिया जा सकेगा जबकि -

- ऐसी सम्पत्ति के बारे में किसी के भी द्वारा में कोई दावा प्रस्तुत नही किया गया है अथवा
- कोई व्यक्ति अपने द्वारा प्रस्तुत दावे को सिद्ध करने में असफल रहता है।

धारा 459 - विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति

- जिसका स्वामी अज्ञात अथवा अनुपस्थित है
- जो शीघ्र ही नष्ट होने की प्रकृति की है।
- जो पाँच सौ रूपये से कम मूल्य की है।

<u>अध्याय-36</u>

<u>कुछ अपराधो का संज्ञान करने के लिए परिसीमा</u>

धारा 468 परिसीमा काल की समाप्ति के बाद सज्ञांन का वर्जन

परिसीमा काल अवधि का निर्धारण तीन भागों में विभाजित कर किया गया है-

1.ऐसे अपराधो के लिये जो ***केवल जुर्माने*** से दण्डनीय है। परिसीमा काल अवधि ***06 माह*** होगी।

2.ऐसे अपराधों के लिये जो ***01 वर्ष से अनधिक*** की कालावधि के लिये कारावास से दण्डनीय है परिसीमा कालावधि ***01 वर्ष*** होगी।

3.ऐसे अपराधों के लिये जो ***01 वर्ष से अधिक किन्तु 03 वर्ष से अनधिक*** कालावधि के लिये कारावास से दण्डनीय है । परिसीमा कालावधि ***03 वर्ष*** होगी।

धारा 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण

- जहाँ विलम्ब का कोई युक्त युक्त कारण है
- न्यायाहित में

अध्याय-37

प्रकीर्ण

धारा 482 –उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियो की व्यावृत्ति

- संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिये
- किसी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिये
- न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये किया जाना आवश्यक है
- शक्तियो का प्रयोग केवल ऐसे मामलो मे किया जायेगा जिसके लिये इस संहिता मे कही भी विशिष्ट प्रावधान नही किया गया है

प्रथम अनुसूची अपराधो का वर्गिकरण

(1) “प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट “और ”कोई भी मजिस्ट्रेट “पदो के अन्तर्गत महानगर मजि0 भी है किन्तु कार्यपालक मजि0 नही है

अनुसूची 1 के भाग 1 मे भा0द0वि0 के अधीन दण्डनीय अपराधो का वर्गीकरण किया गया है

तथा

अनूसुची 1 के भाग 2 मे अन्य विधियो के सम्बन्ध मे अपराधो का वर्गीकरण किया गया है

द्वितीय अनुसूची

संहिता की धारा 476 के अनुक्रम मे प्रारुपो का उल्लेख किया गया है। प्रारुप ऐसे परिर्वतन सहित जैसे मामले की परिस्थितियो मे अपेक्षित हो ,उसमे वर्णित सम्बद्व प्रयोजनो के लिये उपयोग मे लाये जा सकते है।